(7)

क्रम-संख्या

संख्या सा-3-796/दस-907/87

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 6 मई, 1987

विषय :--पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा करने पर यह तथ्य शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय विभागों में कार्यभार की तुलना में पूर्व स्वीकृत स्टाफ कम महसूस हो रहा है । अतएव योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने 28 फरवरी, 1988 अथवा यदि उसके पूर्व ही समाप्त कर दिये जायें, तब निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थाई पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है--

विभाग का नाम	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार
राजस्व परिषद्	1	5
सार्वजनिक निर्माण विभाग	..	2
सिंचाई विभाग	1	3
पुलिस मुख्यालय	1	..

उपरोक्त अतिरिक्त पद पूर्व स्वीकृत पदों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही भरे जायेंगे । इन पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में बचतों से वहन किया जायेगा और आगामी वर्षों के लिये सम्बन्धित विभाग स्वयं अपने आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान करायेंगे तथा पदों की निरन्तरता की स्वीकृति जारी करायेंगे ।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव ।

संख्या सा-3-796 (1)/दस-907/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--सचिव, राजस्व, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा गृह विभाग ।
2--महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा एवं आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।